समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निग -1249 - I -16

राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक- /2015-16

(23)

पुनरीक्षणकर्ता : रेवाराम सार्वे पिता श्री रामचन्द्र सार्वे, उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी- ग्राम खरितायगांव, तह. सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

श्री अजय गौतम
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार
29 FEB 2016
कार्यालय क... ...र संभाग

(85)

विरूद्ध

उत्तरार्थी : अमानउल्ला पिता फजलू रहमान, निवासी- ग्राम खरितायगांव, तह. सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

COMMISSIONER OF OATHS FOR THE HIGH COURT
Smt. Manju Singh Parmar
29/2/16
JABALPUR

पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 680/अ-70/11-12 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2016 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों के तहत प्रस्तुत करते है :-

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता ग्राम खरितायगांव, तह. सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का स्थायी निवासी है ।

2. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता के नाम से मौजा खरितायगांव स्थित कृषि भूमि ख.नं. 189/1 रकवा 2.106 हे. की भूमि स्वामी होकर वैध अधिपत्यधारी है । पुनरीक्षणकर्ता इस खेत के पश्चिम दिशा की ओर उत्तरार्थी की जमीन ख.नं. 189/3 है । पुनरीक्षणकर्ता के पति स्व. रामचन्द्र सार्वे ने अपनी भूमि ख.नं. 189 के पश्चिम दिशा की ओर की दो एकड़ भूमि मनोज बोरीकर को दिनांक 07.06.1976 को विक्रय की गई थी । उक्त विक्रय के समय ही पुनरीक्षणकर्ता के खेत एवं मनोज

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1249–एक/16 जिला–छिन्दबाड़ा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25-4-16	यह निगरानी अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 680/अ–70/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2016 के विरूद्व म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत हुयी है। 2– प्रकरण में ग्राह्यता के बिन्दु पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उनकी ओर प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। 3– आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि अनावेदक द्वारा भूमि खरीदने के पश्चात् दिनांक 27.12.2008 को तहसीलदार सौंसर के समक्ष भूमि खसरा नं. 189/3 के सीमांकन हेतु आवेदन पेश किया जिस आधार पर दिनांक 14.01.2009 को सीमांकन बिना चांदा पत्थर किया जाकर वर्तमान अनावेदक की भूमि पर 0.162 है0 पर आवेदक का कब्जा पाया गया जिसके आधार पर धारा 250 का आवेदन प्रस्तुत कब्जा हटाये जाने का निवेदन किया और तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्व कर आदेश दि.30.11.2011 से आवेदन पत्र निरस्त कर दिया इसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी सौंसर के समक्ष की गयी, जो निरस्त की गयी । तत्पश्चात् द्वितीय अपील अतिरिक्त कमिश्नर	

जबलपुर संभाग जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो आदेश दि.11.01.2016 से स्वीकार की गयी। जिसके विरूद्व आवेदक द्वारा मान.उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की गयी जो आदेश दि.25.02.2016 से निराकृत की गयी जिसमें राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये जिसके पालन में वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं। प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय पूर्व में मनोज बोरी कर को किया गया था तथा उनका कब्जा क्रय दिनांक से लगभग 30–35 वर्षो तक काबिज होकर कृषि कार्य किया है तथा मनोज बोरी कर द्वारा उक्त प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय अनावेदक को किया गया है जिससे स्पष्ट है मनोज बोरी कर द्वारा अपने कब्जे की भूमि का विक्रय अनावेदक को किया है आवेदक को कभी भी बेदखल नहीं किया गया है। और न ही उसके द्वारा जबरन कब्जा किया गया है ऐसी स्थिति में भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के प्रावधान इस प्रकरण में लागू नही होते इसलिये अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.01.2016 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4– आवेदक के अभिभाषक के तर्को एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्थिति यह है कि अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है। अनावेदक द्वारा वर्ष 2008 में भूमि क्रय की गयी है क्रय करने के उपरान्त वर्ष 2009 में उसमे सीमांकन कराया

सीमांकन रिपोर्ट को आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार से खण्डित नहीं किया गया है। धारा 250 के अन्तर्गत वे कब्जा किये जाने की अवधि का गणना उस बेकब्जा की भूमि की स्थिति ज्ञात होने के बाद अर्थात् सीमांकन के उपरान्त 2 वर्ष के अन्दर की जानी चाहिये। भले ही वर्षो से दर्ज कब्जा चला आ रहा हो और सीमांकन कराने के उपरान्त उसकी स्थिति ज्ञात हो तो भी धारा 250 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है, क्योंकि सीमांकन ही अवैध कब्जो का निश्चायक प्रमाण है। अवैध कब्जा होने की तारीख से ही और सीमांकन की तारीख से ही अवधि की गणना की जायेगी धारा 250 में स्पष्ट किया है कि कब्जा अप्राधिकृत होने की दिनांक से लागू होना माना जावेगा। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में विधिवत् विवेचना के पश्चात् जो आदेश पारित किया है, वह स्थिर रखे जाने योग्य है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 680/अ–70/2011–12 में पारित आदेश दि. 11.01.2016 विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत वर्तमान निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

सदस्य